न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2075–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–3–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर प्रकरण कमांक 14/स्व–निगरानी/2012–13.

मोहम्मद फारूक पिता हाजी इब्राहिम
निवासी 41, ए ग्रीनलैंड कॉलौनी, इन्दौर ..... आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा जिलाधीश
जिलाधीश कार्यालय, मोतीतबेला, इन्दौर
2– बाबूदास पिता गंगादास बैरागी (मृत) तर्फे वारिस–
लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. बाबूदास बैरागी
निवासी ग्राम पिपल्याराव तहसील व जिला इन्दौर
3– मोहम्मद सलीम पिता अब्दुल रजाक
निवासी 10, जवाहर मार्ग, इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री गौरव सक्सेना, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक मोहम्मद फारूक द्वारा अनावेदक कमांक 3 मोहम्मद सलीम से ग्राम पिपल्या कुम्हार तहसील इन्दौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 206 पैकि रकबा 0.128 पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाकर नामांतरण हेतु तहसीलदार, इन्दौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण

कमांक 62/अ–6/2009–10 दर्ज किया जाकर दिनांक 7–6–2010 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 3 के स्थान पर आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । तत्पश्चात दिनांक 4–1–2013 को तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 206 श्रीखेडापति मंदिर, भूमि के व्यवस्थापक कलेक्टर, जिला इन्दौर के नाम दर्ज रही । मंदिर के पुजारी श्री बाबूदास द्वारा प्रश्नाधीन स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा के लिए व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था । व्यवहार वाद प्रकरण कमांक 98 ए/95 में पारित आदेश दिनांक 15–12–95 से आवेदक का वाद स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि "वादोक्त भूमियां वादी को श्रीराम मंदिर और खेडापति मंदिर की पूजा अर्चना किये जाने की शर्त के अधीन ईनाम में दी गई थी ऐसी स्थिति में वादोक्त भूमियों पर वादी के भूमिस्वामी स्वत्व उस समय तक रहेंगे, जब तक श्रीराम मंदिर, खेडापति मंदिर की पूजा अर्चना करता रहेगा ।" उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थिर रहा । इस प्रकार बाबूदास को श्रीराम मंदिर एवं खेडापति की पूजा अर्चना करते रहने तक भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हुआ था, परन्तु आवेदक बाबूदास बैरागी ने प्रश्नाधीन भूमि का विकय कर दिया है, जिसका उन्हें अधिकार नहीं था । अतः प्रकरण कमांक 62/अ–6/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 7–6–2010 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त किया जाना उचित होगा । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर कलेक्टर, इन्दौर को प्रेषित किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 14/स्व–निगरानी/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–3–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा ही आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार का आदेश अपीलीय आदेश है, और ऐसे

आदेश के विरूद्ध केवल अपील ही पोषणीय है, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जिसका क्षेत्राधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही अधिकार बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अपर कलेक्टर द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 2 के नाम प्रारंभ से भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रही है, और चूंकि म0प्र0 शासन द्वारा अनावेदक कमांक 2 को बेदखल करने की कोशिश की गई थी, अतः उसके द्वारा व्यवहार न्यायालय में दीवानी प्रकरण कमांक 98/95 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, इन्दौर द्वारा दिनांक 15–12–95 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदक कमांक 2 को भूमिस्वामी घोषित किया गया है, और व्यवहार न्यायालय का उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थिर रहा है । चूंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है, अतः अपर कलेक्टर को इस बात को देखने का कोई अधिकार नहीं है कि अनावेदक कमांक 2 प्रश्नाधीन भूमि का मालिक है अथवा नहीं । इस प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के प्रकरण को खोलने में गंभीर कानूनी भूल की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 2 को ईनाम में दी गई थी, और संहिता के लागू होने पर संहिता की धारा 158 (1) (बी) के अंतर्गत अनावेदक कमांक 2 भूमिस्वामी हो गया है ।

(4) कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, और अवधि विधान के प्रावधान शासन पर भी लागू होते हैं । अतः स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने के लिए 60 दिवस की समय–सीमा निर्धारित है, जबकि अपर कलेक्टर द्वारा लगभग 3 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जो कि अत्यधिक विलंबित होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2007 आर.एन. 65, 71 व 77 एवं 1998 (1) एम.पी.वीकली नोट शार्ट नोट नं. 26 तथा 2002 आर.एन 452 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होकर मंदिर की है, जिसका विकय करने का अधिकार विकेता को नहीं था, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के वारिस के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ अनावेदक कमांक 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–2010 अपीलीय आदेश है । 1981 आर.एन. 333 अजगर सिंह विरूद्ध एस0डी0ओ0 शुजालपुर तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया:–

"धारा 50–स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कब किया जा सकता है–जहां आदेश अपील योग्य हो पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 7–6–2010 को दिनांक 11–2–2013 को लगभग ढाई वर्ष से भी अधिक समय पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया है । इस संबंध में 2013 आर.एन. 8 आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"50–स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां–का प्रयोग–पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किसी उपबंध के उल्लंघन के विषय में जानकारी में कब आया–180 दिवस से बाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में भी अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही अत्यधिक विलंबित होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । जहां तक प्रकरण के गुण–दोष का प्रश्न है, आवेदक मोहम्मद फारूक द्वारा बाबूदास बैरागी से भूमि कय नहीं कर अनावेदक कमांक 3 मोहम्मद सलीम से भूमि कय की गई है, और मोहम्मद सलीम का नामांतरण दिनांक 10–5–2010 को ही स्वीकृत होकर उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया है । इस प्रकार चूंकि आवेदिका द्वारा बाबूदास बैरागी से भूमि कय नहीं कर प्रथम केता मोहम्मद सलीम से भूमि कय की गई है, इसलिए वह सद्भाविक केता है, और चूंकि मोहम्मद सलीम

का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज था, इसलिए उसके द्वारा भूमि क्रय करने में उसकी किसी प्रकार की कोई दोषी मंशा परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर आवेदक का नामांतरण आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है, जबकि मोहम्मद सलीम के पक्ष में हुए आदेश को निरस्त नहीं करने से वह अंतिम हो गया है, और जब तक मोहम्मद सलीम का नामांतरण आदेश निरस्त नहीं होता, आवेदक के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही विधि अनुरूप नहीं होने निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/स्व–निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28–3–2013 निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही भी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 2065–पीबीआर/13, निगरानी 2066–पीबीआर/13, निगरानी 2067–पीबीआर/13, निगरानी 2068–पीबीआर/13, निगरानी 2069–पीबीआर/13, निगरानी 2071–पीबीआर/13, निगरानी 2072–पीबीआर/13, निगरानी 2073–पीबीआर/13, निगरानी 2074–पीबीआर/13, निगरानी 2076–पीबीआर/13, निगरानी 2077–पीबीआर/13 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर